

संख्या-3752/15-7-16(343)/1996
=====

प्रयत्न,

श्री अमीर गांगुली,
संपूर्ण सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 समुदाय केन्द्र,
प्रोग्रेस विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

लघुसूत्र: दिनांक: 04 दिसम्बर, 1996

विषय:- ग्रीन फील्ड अकाडेमी हरगाँव सीतापुर को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

पुर्वोक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ग्रीन फील्ड अकाडेमी हरगाँव सीतापुर को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सीतापुरी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध संचालित में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस शिक्षित स्नान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित कुल से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से कितनी अनुदान को माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्ण में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से दैनिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोतिल फार दि इन्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वालिशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5- संस्था दैनिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवाओं बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अज्ञातकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

PRINCIPAL
GREEN FIELD ACADEMY
HARGAON-SITAPUR

Rajna
MANAGER
GREEN FIELD ACADEMY
HARGAON-SITAPUR

- 7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गम किये जायेंगे तैसा उनका पालन करेगी ।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/परिचयों में रखा जायेगा ।
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वनिर्धारित के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि तैसा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि

- 1- विद्यालय हेतु प्राप्त भूमि पर मानक के अनुसार विद्यालय भवन का निर्माण कराया जायेगा तथा प्राप्त समय शीतन को अवगत कराया जायेगा ।
- 2- इंजीनियरिंग योजना लागू करके पर्याप्त शीतन को अवगत कराया जायेगा ।
- 3- यह विद्यालय कक्षा-1 से संचालित होगा और इसके पूर्व यदि कोई शर्तों रखी संचालित है तो वह मान्य नहीं होगी ।
- 3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तैसा के लिए ज़रूरी होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि तैसा द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृद्ध या सिद्धता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा उचित अनुचित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

प्रमुख शिक्षिका।
संयुक्त संघिय ।

पत्र सं 3752 111/15-7-1996 तदुद्दिष्ट
=====

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेश, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- केंद्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर ।
- 4- निरीक्षक, अंगन भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, ग्रान कील्ड स्कूलों हरगाँव सीतापुर ।

Raina



PRINCIPAL
GREEN FIELD ACADEMY
HARGAON-SITAPUR

MANAGER
GREEN FIELD ACADEMY
HARGAON-SITAPUR

प्रमुख शिक्षिका।
संयुक्त संघिय ।